प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– **2023**
प्र0सू0रि0 सं .....291..... दिनांक .....10/11/2023.....
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं.....**13(1)(सी)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भा.द.सं.**
3.(क) घटना का दिन :–
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– **20.09.2019**
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....167..... समय.....04:30 PM.....
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) :– लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– **क्षैत्राधिकार, नगर परिषद बून्दी, जिला बूंदी।**
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– **श्री लोकेश सिंह जादौन,**
(ख) पिता का नाम :– **श्री भीकम सिंह**
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– **50 साल**
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय – **नेता प्रतिपक्ष**
(छ) पता :– **म.नं. 49, न्यू कॉलोनी, बून्दी, पार्षद वार्ड नं. 39 नगर परिषद, बून्दी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
1. श्री महावीर मोदी पुत्र श्री गोपाल लाल मोदी, उम्र 59 साल जाति तम्बोली निवासी कृष्णा नगर देवपुरा, थाना सदर जिला बून्दी तत्कालीन सभापति नगर परिषद बून्दी
2. श्री पंकज मंगल, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद बून्दी
3. श्री आशीष श्रृंगी पुत्र स्व. नन्दकिशोर श्रृंगी निवासी म.नं. डी–3, न्यू कोलोनी बून्दी, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद बून्दी
4. श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र पाथु लाल निवासी ब्राहमणों की हताई, महादेव की गली बून्दी, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद बून्दी हाल सेवानिवृत
5. श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री सबराती जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी बायीपास रोड, गुरूनानक कॉलोनी,बून्दी।
6. श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री बिरधीचन्द जैन जाति महाजन उम्र 49 साल निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी।
7. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बिरधीचन्द जैन जाति महाजन उम्र 45 साल निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

परिवादी श्री लोकेश सिंह जादौन ने एक लिखित शिकायत नगर परिषद बून्दी के तत्कालीन सभापति एवं अन्य कार्मिकों के विरूद्व स्वायत शासन विभाग द्वारा दोषियों को लाभ पहुॅचाने सम्बंधी निम्न आरोप अकिंत किये –

(1) पट्टा नं0 225 नगर परिषद बून्दी द्वारा अवैध रूप से बनाया गया था जिसकी शिकायत पर तत्कालीन जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामजीवन

मीणा द्वारा जांच की गई थी, जिससे उन्होने विस्तृत जांच 09 बिन्दुओं पर सभापति एवं कार्मिको को अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग, राजस्व हानि का दोषी बताया गया था। जिस पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 12327/29.07.2016 एवं पत्र प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन एवं नगरीय विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था, परन्तु आज तीन वर्ष पश्चात भी स्वायत शासन विभाग द्वारा सभापति व अन्य कार्मिको के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इस हेतु कई बार निदेशक, स्वायत शासन विभाग एवं उपनिदेशक सतर्कता से मिल चुके हैं। आज तक कोई नोटिस इन दोषियों को नहीं दिया हैं एवं जानकारी में यह आया हैं कि उपनिदेशक सतर्कता ने अपने स्तर पर मिली भगत केवल मात्र आयुक्त को दोषी मानते हुए औपचारिकता कर दी है जबकि जांच अधिकारी ने सभापति एवं अन्य कार्मिकों को भी दोषी बताया हैं।

(2) पट्टा नं. 224 नगर परिषद बून्दी द्वारा अवैध रूप से बनाया गया, जिसकी भी शिकायत पर तत्कालीन जिला कलेक्टर ने जांच उपखण्ड अधिकारी बून्दी से करायी जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने शिकायत के समस्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए सभी कार्मिको को एवं सभापति एवं आयुक्त को दोषी माना हैं एवं पट्टा जारी करना पूर्णत गलत बताया हैं। उपखण्ड अधिकारी के जांच के आधार पर तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार द्वारा पत्र क्रमांक 17756 दिनांक 14.07.2017 को पत्र लिख कर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा, परन्तु दो वर्ष पश्चात निदेशक, स्वायत शासन विभाग द्वारा सभापति व अन्य कार्मिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, इस सम्बन्ध में निदेशक स्वायत शासन विभाग एवं उपनिदेशक सर्तकता को कई बार लिखा गया व व्यक्तिगत मिला गया परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। दो जिला कलक्टर, एक अतिरिक्त जिला कलक्टर, एक उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच को ठण्डे बस्ते में डालकर भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढाया जा रहा हैं।

उक्त शिकायत पर परिवाद संख्या 367/2019 दिनांक 31.12.2019 दर्ज होकर जांच श्री तरूणकान्त सोमानी तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गई। दौराने जांच परिवादी श्री लोकेश सिंह जादौन के बयान लेखबद्ध किए गए। परिवाद में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में नगर परिषद, बून्दी से पट्टा संख्या 224 व 225 की सम्पूर्ण पत्रावलियों मय नोटशीट की सत्यापित प्रतियां प्राप्त की गई। पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी पर पट्टा संख्या 224 के सम्बन्ध में पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 528/2017 एवं पट्टा संख्या 225 के सम्बन्ध में पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 30/2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उक्त प्रकरणों से सम्बंधित अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। पट्टा संख्या 224 व 225 के सम्बन्ध में श्रीमान जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा तत्समय करवाई जॉच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्राप्त कर शामिल की गई।

तत्पश्चात उक्त परिवाद की जांच श्री ताराचंद तत्कालीन पुलिस निरीक्षक द्वारा की जाकर परिवाद मे अकिंत तथ्यों के सम्बध मे सुसंगत रिकार्ड प्राप्त किया गया एवं श्री ताराचंद पुलिस निरीक्षक के स्थानान्तरण के पश्चात उक्त परिवाद की जांच श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई।

प्राप्त रिकार्ड व साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया कि नगर परिषद बून्दी द्वारा जारी पट्टा संख्या 224 के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी, बून्दी से जॉच करवाई गई। उपखण्ड़ अधिकारी, बून्दी ने अपनी जॉच रिपोर्ट में पाया कि " श्री पारस कुमार जैन एवं श्री सुरेन्द्र जैन को अतिक्रमण नियमन से सम्बंधित नियमन पत्रावली प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगर परिषद, बून्दी में प्रस्तुत हुई जिसे सबूत के अभाव में नगर परिषद द्वारा निरस्त किया जा चुका था। इस पर पट्टा धारकों द्वारा नगर परिषद, बून्दी के विरूद्व न्यायालय में सिविल वाद दायर किया गया। जिसमें नगर परिषद की ओर से पेश जवाब में नियमन पत्र नियम विरूद्व होना बताया। उक्त जवाब के उपरान्त दिनांक 10.10.2015 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में नगर परिषद द्वारा प्रार्थीगण से राजीनामा कर उन्हे पट्टा जारी किया गया, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। प्रार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि पर यह पट्टा चाहा गया था। जिसमें उसके हित निहित थे, लेकिन नगर परिषद का इस तरह के राजीनामा में क्या हित निहित था यह समझ से परे हैं। अपितु यहॉ तो राजकीय भूमि होने से नगर परिषद का दायित्व था कि वह प्रकरण में पक्षकार की भूमिका निभाते। यहॉ यह भी विचारणीय बिन्दु हैं कि इस प्रकार न्यायालय में वाद दायर करने मात्र से ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे। फिर भी नगर परिषद द्वारा लोक अदालत में इस तरह का राजीनामा किया गया। जिसमें उसने स्वयं ने जवाब में उक्त

प्रकरण को विधी सम्मत नहीं होना बताया हैं। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा जानबूझकर प्रार्थीगण को लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से यह राजीनामा किया गया हैं तथा प्रार्थीगण को जानबूझकर अनुचित तरीके से लाभ पहुॅचाया हैं। ''

नगर परिषद बून्दी द्वारा जारी पट्टा संख्या 225 के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी से जॉच करवाई गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी ने अपनी जॉच रिपोर्ट के निष्कर्ष में अंकित किया कि '' पट्टा संख्या 225 की पत्रावली में नल कनेक्शन प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2012 का हैं जिसमें कांट–छांट कर दिनांक 14.02.2012 के स्थान पर 14.02.2002 करके कब्जा दिनांक 15.08.2009 के पूर्व का साबित कर दिया गया, नगर परिषद, बून्दी द्वारा इस प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में जॉच किए बिना ही पट्टा जारी किया गया। राशन कार्ड में भी कांट–छांट कर पता परिवर्तित किया गया हैं। जिस पर भी नगर परिषद द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। भू–खण्ड की भूमि नगर परिषद के स्वामित्व की नहीं होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की हैं तथा भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज हैं जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की हैं। पूर्ववर्ती आयुक्त द्वारा पट्टा निरस्त किया गया था परन्तु तथ्य की जॉच किए बिना ही पुनः पट्टा जारी कर दिया गया। लाभार्थी अब्दुल हमीद द्वारा सिविल वाद प्रस्तुत करने पर नगर परिषद द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया तथा न ही समझौते के दिन आयुक्त उपस्थित हुए बल्कि एक लिपिक द्वारा नगर परिषद की तरफ से समझौता किया गया जो प्रकरण के प्रति उदासीनता व गंभीर लापरवाही का द्योतक हैं। न्यायालय ने समझौता करने के पश्चात भी नगर परिषद को निर्देश दिए थे कि वादी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पट्टा प्राप्त करने की योग्यता रखता हो तो उसे नियमानुसार पट्टा जारी कर दिया जावे। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में पात्रता की जॉच नहीं की गई, न्यायलय के आदेश की गलत व्याख्या करते हुये लाभार्थी को पुनः पट्टा जारी कर दिया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार भू–खण्ड पर बनी झोपडी में बशीर मुल्तानी नाम का व्यक्ति मय परिवार रह रहा हैं न कि प्रार्थी अब्दुल हमीद।

इस प्रकार मौका रिपोर्ट के विपरीत अब्दुल हमीद को अनुचित लाभ दिया गया। पट्टे के सम्बन्ध में राशि 2,33,638 रूपये की गणना प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान छूट उपरान्त निर्धारित दर से ही की गई हैं। जबकि पट्टा संख्या 225 अभियान अवधि के पश्चात जारी किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अभियान में प्रदान की गई छूट का लाभ आवेदक को देय नहीं था। इस कारण नगर परिषद, बून्दी को राजस्व हानि हुई हैं।''

पुलिस थाना कोतवाली बून्दी में दर्ज प्रकरण संख्या 30/2018 में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी लाभार्थी अब्दुल हमीद व कनिष्ठ लिपिक श्री ओमप्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका हैं। उक्त प्रकरण वर्तमान में रेन्ज, कार्यालय कोटा में जैर अनुंसधान हैं। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया राशन कार्ड के पते में कांट–छांट कर पता परिवर्तन करने, भू–खण्ड़ की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की होने के तथ्य स्पष्ट नहीं हैं, क्योकि उक्त भू–खण्ड के खसरे की भूमि रिकॉर्ड अनुसार तरमीम नहीं हैं। इसके अलावा अन्य तथ्य नल कनेक्शन प्रमाण पत्र में कब्जा दिनांक 15.08.2009 से पूर्व का दिखाने बाबत कांट–छांट करना, लाभार्थी अब्दुल हमीद का भू–खण्ड़ पर निवासरत नहीं होना, न्यायालय पेश किए गए समझौते के उपरान्त पट्टा जारी करते समय न्यायालय आदेश की गलत व्याख्या करते हुए आवेदक की पात्रता की जॉच किए बगैर पट्टा जारी करना, राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि तरमीम नहीं होने से स्थिति स्पष्ट होने के बगैर पट्टा जारी करना व अन्य तथ्यों के आधार पर अनुसंधान में तथ्य प्रमाणित माने गए।

परिवाद मे अकिंत आरोपों के सत्यापन के कम मे नगर परिषद बून्दी से सूचना चाहने पर आयुक्त नगर परिषद बून्दी द्वारा जरिये पत्रांक 1931 दिनांक 21.06.2022 से सूचना प्रेषित कर अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे पट्टा संख्या 224 राष्ट्रीय लोक अदालत मे नगर परिषद द्वारा प्रार्थीगण से राजीनामा किया गया। नगर परिषद को राष्ट्रीय लोक अदालत मे राजीनामा करने का अधिकार नही था, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 306 की समझोता करने की क्षतियां नगर पालिका मे निहित है। इस प्रकरण मे पालिका मण्डल से कोई अनुमति नही थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त आयुक्त नगर परिषद बून्दी द्वारा जरिये पत्रांक 860 दिनांक 25.04.2023 से उक्त दोनों पट्टों के सम्बन्ध में डी.एल.सी. दर की गणना के सम्बन्ध में निम्न सूचना प्रेषित की गई :–

1. पट्टा संख्या 224 श्री पारस कुमार जैन व सुरेन्द्र जैन पुत्र बिरधी चंद जैन निवासी गुरूनानक कोलोनी बून्दी में क्षैत्रफल 1235.82 वर्गफीट का दिनांक 01.04.2016 की डी.एल.सी. दर 550 रूपये प्रतिवर्ग फिट के हिसाब से राशि 6,79,701 रूपये बनती है।
2. पट्टा संख्या 225 श्री अब्दुल हमीद पुत्र सबराती निवासी बायीपास रोड, गुरूनानक कॉलोनी बून्दी मे क्षैत्रफल 2242.95 वर्गफीट का दिनांक 01.04.2016 की डी.एल.सी दर मुख्य रोड सहारा इण्डिया से सूर्यमल मिश्रण वाले रोड पर 1540 रूपये प्रतिवर्ग फिट के हिसाब से राशि 34,54,143 रूपये बनते है।

उपरोक्त प्रकरण में नगर परिषद के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा दोनों भूखण्ड पट्टा संख्या 224 एवं 225 के सम्बन्ध में आपसी मिलीभगत कर पट्टा आवेदकों को डी.एल.सी. दर के अनुसार 41,33,844/–रूपये का अनुचित लाभ पहुँचाते हुये राजस्व हानि कारित की गई।

इस प्रकार परिवाद में अंकित आरोपो के सत्यापन से पाया गया कि नगर परिषद बून्दी के तत्कालीन सभापति श्री महावीर मोदी, तत्कालीन आयुक्त श्री पंकज मंगल, तत्समय कार्यरत कार्मिक श्री आशीष श्रृंगी, कनिष्ठ लिपिक व श्री ओमप्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये पट्टा संख्या 224 के लाभार्थी श्री पारस कुमार जैन एवं सुरेन्द्र कुमार जैन एवं पट्टा संख्या 225 के लाभार्थी श्री अब्दुल हमीद से आपसी मिली–भगत कर सरकारी स्वामितत्व के भूखण्डों का नियम विरूद्व तरीके से नियमन पत्र जारी कर उनकों अनुचित लाभ पहुचाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः परिवाद में अंकित तथ्यों/आरोपों के सत्यापन से 1. श्री महावीर मोदी, तत्कालीन सभापति नगर परिषद बून्दी, 2. श्री पंकज मंगल, तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद बून्दी, 3. श्री आशीष श्रृंगी, कनिष्ठ लिपिक, 4. श्री ओमप्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक सेवानिवृत नगर परिषद बून्दी एवं लाभार्थी 5. श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री सबराती जाति मुसलमान उम्र 68 साल निवासी बायीपास रोड, गुरूनानक कॉलोनी,बून्दी, 6. श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री बिरधीचन्द जैन जाति महाजन उम्र 49 साल निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी एवं 7. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बिरधीचन्द जैन जाति महाजन उम्र 45 साल निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी का उक्त कृत्य धारा 13(1)(सी)(डी), सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 120बी. भादसं के तहत दण्डनीय अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

भवदीय,

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बूंदी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री महावीर मोदी, तत्कालीन सभापति, नगर परिषद, बूंदी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर बिन्दु संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के क्रम संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 291/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 3033-37 दिनांकः- 10.11.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर परिषद, बूंदी।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।